Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2021, VOL- 8/65

पंचायती राज द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की बाधायें : जनपद मथुरा, उ0 प्र0 के विषेश संदर्भ में

राजकुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर – राजनीति शास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद, आगरा

Abstract

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुडे सभी निर्णय स्वयं ले सकें। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहाँ महिलाएं परिवार और समाज के सभी बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हो। अपनी निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद आवश्यक है। हमारे देश में लैगिंक असमानता मुख्य सामाजिक मुद्दा है जिसके कारण महिलाऐं हर क्षेत्र में पिछड़ी रही है विशेष कर ग्रामीण महिलायें अशिक्षा, कुरीतियेां एवं कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अत्यधिक पिछड़ी हुयी है। महिलायें समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उसकी राजनैतिक सहभागिता लगभग नगण्य ही रही है। वर्तमान पंचायती राज

पारिभाषिक शब्दः *पचायतराज,सशक्तिकरण, ग्रामीण राजनीति, राजनैतिक भावना।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध–पद्धतिशास्त्र (अध्ययन का क्षेत्र, न्यादर्श, पद्धति तथा प्रविधियाँ):

अध्ययन का समग्रः

अध्ययन का क्षेत्र/समग्र शोध सुविधार्थ उ.प्र. के आगरा मण्डल का मथुरा जनपद चुना गया है । अनुसंधित्सु ने जनपद से कुल 100 महिलाओं का चयन अध्ययन हेतु, दैव निदर्शन विधि द्वारा किया है।

अध्ययन की पद्धति एवं प्रविधियाँ :

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रमुख पद्धति के रूप में ''साक्षात्कार अनुसूची'' प्रकरणतः निर्मित करके सूचनादाताओं से 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' सम्पन्न करते हुए प्राथमिक तथ्य संकलित गए हैं। तथा न्यादर्शो की मनोवृत्तियाँ जानने के लिए मनोवृत्ति मापकों यथा– लिकर्ट एवं थर्सटन को अपनाया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों, सचिवों तथा समाचार–पत्र, पत्रिकाओं द्वारा करके तत्पश्चात् मास्टरशीट का निर्माण कर

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्राथमिक तथा द्वैतीयक आँकड़ों से सांख्यकीय गणनाएं करके तथ्यपरक निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं। शोध कार्य हेतु 'वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति' का चयन किया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्षः

क्रमांक	बधक कारक	आवृत्तियाँ (300में से)	प्रतिशत
1	शैक्षिक पिछड़ापन	242	80.67
2	आर्थिक पिछड़ापन	264	88.00
3	लैंगिक पिछड़ापन (लैंगिक भेदभाव)	285	95.00
4	रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ (दकियानूसी मानसिकता)	165	55.00
5	अधिकारियों/कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होना	246	82.00
6	परिवार में महिलाओं के प्रति नियंत्रण की भवना (पारिवारिक असहयोग)	156	52.00
7	संवैधानिक प्रावधनों का कड़ाई से अनुपालन न होना	297	99.00
8	प्रशासनिक उदासीनता	285	95.00

शोधार्थी को अपने आनुभविक अध्ययन में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बाधायें/ **चुनौतियाँ** परिलक्षित हुई हैं –

1. ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न है।
2. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न है; अर्थात धन (वित्त) का अभाव ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख चुनौती है।
3. ग्रामीण महिलाओं में प्रशासनिक प्रशिक्षण / ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव है।
4. सामाजिक रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं।
5. ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं है।
6. ग्रामीण महिलाओं में कानूनी पेचीदगियों के समझ का अभाव है।
7. गाँवों में विद्यमान गुटबाजी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधक है।
8. ग्रामीण पुरूष के अपेक्षित सहयोग का अभाव एवं महिलाओं के प्रति नियंत्रण की भावना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधक है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तुत अध्ययन के आनुभविक आँकड़ों से किए गए विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण महिला नेतृत्व ग्राम पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से उभर कर आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात (सोच) उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का निम्न स्तरीय होना उनमें व्याप्त अशिक्षा एवं महिला होने के नाते कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है। उत्तरदात्रियों में महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस सन्दर्भ में अन्तर्सम्बन्धी प्रतीत होता है। उपर्युक्त उत्तरों को गहराई से देखने व मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि महिला नेतृत्व की ग्राम पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी; आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी जो भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रसंग में एक अच्छा संकेत है।

संदर्भ

Raj Narain (2012) Voting Behaviour in Uttar Pradesh, A Study in Fourth General Elections Suppliment, Unpublished Manuscript, Govt. of India, Delhi, p.13

Iqubal Narain (2005) Emerging Concept of Panchayat Raj: Planning and Democracy, Saraswati Prakashan, Shahadara, Delhi, p.18.

पाराशर शैलेन्द्र (2006) अनुसूचित जातियों के विकास में पंचायत राज की भूमिका, प्रकाशित शोध पत्र ''सामाजिक सहयोग'', राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका उज्जैन (म.प्र.) 1996, 5(17), पृष्ठ 42–43

सक्सैना ज्योत्सना (2009) पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी एवं महिला सशक्तिकरण, प्रकाशित शोध पत्र, पूर्वोक्त,पृ.23–24 फरबरी 1999

यादव यू.वी. (2003) अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं के विकास में नवीन पंचायत राज का योगदान, पूर्वोक्त, अंक 5(26), पृष्ठ 7–12

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies